

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी निरमा बिश्नोई आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 238/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1- मोहम्मद हुसैन पिता अब्दुल हमीद लुहार नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा

-प्रार्थी

बनाम

- 1- आजाद खां पिता असद खां कायमखानी नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
- 2- ताज मोहम्मद पिता अब्दुल सत्तार सिलावट नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा
- 3- तहसीलदार बनेड़ा।

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी:- अरुण देराश्री

निर्णय

दिनांक :- 24/04/2023

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बनेड़ा पटवार हल्का बनेड़ा भूअ.नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। ग्राम बनेड़ा पटवार हल्का बनेड़ा भूअ.नि. बनेड़ा तहसील बनेड़ा में स्थित स्थित खाता संख्या 1759 के आराजी खसरा सं. 5577 कुल कित्ता 01 रकबा 1.3279 है० भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझती हूं।

अरुण



// आदेश //

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सारवर्ण होने एवं प्रार्थीगण वरद ग्रस्त आररजी के अभिलिखित खरतेदर होने से आंशिक रूप से स्वीकर किया जरकर मरुजर बनेडर तहसील बनेडर में स्थित प्रार्थीगण की खरतर संख्या 1759 के आररजी खसरर सं. 5577 कुल कितर 01 रकबर 1.3279 है0 भूमि एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आररजीररर के मध्य सीमर-रेखर की स्पष्ट जरनकररी के लिए नियमरनुसर सीमरंकन की करर्यवरही करते हुए सीमर चिहन रोपित करवरए जरने कर आदेश प्रदरन किया जरतर है। सम्बंधित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवररी उक्त आररजीररर के खरतेदररन को विधिवत नोटिस तरमित करवरकर उन्हें मरुके पर उपस्थित रहने बरबत पारबंद करे एवं सभी सम्बंधित खरतेदरररन को से लिखित में सहमती प्ररप्त कर उनकी उपस्थिति में ररजस्थरन भू ररजस्व अधिनियम 1956 की धररर 111 में विहित प्रक्रियर की अनुपरलनर करते हुए मुतररबिक भू-नक्शर शीट के आधरर पर मरुके पर सीमरंकन की करर्यवरही कररते हुए प्रार्थीगण के खर्चे से प्रार्थीगण की खरतर संख्या 1759 के आररजी खसरर सं. 5577 कुल कितर 01 रकबर 1.3279 है0 भूमि एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आररजीररर की सीमर के मध्य सीमर-चिन्ह रोपित करररं, यदि प्रार्थीगण कर उपर्युक्त आररजी पर कब्जर करशत नहीं हो यर किसी न्यररररल कर स्थगन आदेश प्रभरवशील हो तो उपर्युक्त करर्यवरही नहीं की जररं, उपर्युक्त आदेश के आधरर पर भू अभिलेख में किसी प्रकरर कर फेरबदल नहीं किया जररं, आदेश की परलनर अपील की मियरद गुजरने के पश्चरत की जरवे, तहसीलदरर बनेडर को परलनरर्थ तहरीर जररी हो। पत्ररवली इसी मुतररबिक फैसल होकर दरखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनरंक 24.04.2023 को कैम्प कोर्ट मुख्यरलय बनेडर में मजमें आम में मेरे दुररर लिखवरर जरकर सुनररर गरर।

जररथ
(निरमर बरशुनरई)
भू अभिलेख अधिकररी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकररी
बनेडर-भीलवरडर